"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2014— आश्विन 30, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–6/आठ–परि./2014.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित और प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 28 सहपठित धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, (कक्ष क्र. एस–4–10) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

1. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"9. लोक सेवा यान के चालक के लिए वर्दी:– लोक सेवा यान का चालक निम्नलिखित वर्दी पहनेगा, अर्थात्:–

(क) स्लेटी रंग का बुश–शर्ट या कोट जिस पर फ्लैप लगी चार जेबें हो;

(ख) स्लेटी रंग का पतलून (फूल पैंट); और

(ग) स्लेटी रंग की टोपी या साफा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सभी या ऐसे चालकों के किसी वर्ग को, इस नियम के प्रवर्तन से ऐसी अवधि के लिए छूट दे सकेगी, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।"

2. नियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"36. मंजिली गाड़ियों के परिचालक के लिए वर्दी:- मंजिली गाड़ियों का परिचालक निम्नलिखित वर्दी पहनेगा, अर्थात्:-

(क) स्लेटी रंग का बुश-शर्ट या कोट जिस पर फ्लैप लगी चार जेबें हो;

(ख) स्लेटी रंग का पतलून (टाऊजर); और

(ग) स्लेटी रंग की टोपी या साफा।"

3. नियम 116 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(2) नियम 114 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रक्रम यात्री सेवाओं की सहज एवं सही पहचान के लिए निम्नलिखित रंग योजना विहित है, अर्थात्:-

(क) साधारण प्रक्रम यात्री सेवा: साधारण प्रक्रम यात्री सेवा यान के सामने एवं पिछले हिस्से को लाल रंग में रंगा जायेगा तथा वाहन के दोनों ओर खिड़की के ठीक नीचे 120 मि.मी. की लाल रंग की पूर्ण लम्बाई की एक पट्टी होगी। ऐसी पट्टी के बीच में 60 मि.मी. अक्षर के आकार में "साधारण प्रक्रम यात्री सेवा" शब्द लिखा जायेगा।

(ख) एक्सप्रेस प्रक्रम यात्री सेवा: एक्सप्रेस प्रक्रम यात्री सेवा यान के सामने एवं पिछले हिस्से को हल्के पीले रंग में रंगा जायेगा तथा वाहन के दोनों ओर खिड़की के ठीक नीचे 120 मि.मी. की हल्के पीले रंग की पूर्ण लम्बाई की एक पट्टी होगी। ऐसी पट्टी के बीच में 60 मि.मी. अक्षर के आकार में "एक्सप्रेस प्रक्रम यात्री सेवा" शब्द लिखा जायेगा।

(ग) डीलक्स प्रक्रम यात्री सेवा: डीलक्स प्रक्रम यात्री सेवा यान के सामने एवं पिछले हिस्से को हल्के नीले रंग में रंगा जायेगा तथा वाहन के दोनों ओर खिड़की के ठीक नीचे 120 मि.मी. की हल्के नीले रंग की पूर्ण लम्बाई की एक पट्टी होगी। ऐसी पट्टी के बीच में 60 मि.मी. अक्षर के आकार में "डीलक्स प्रक्रम यात्री सेवा" शब्द लिखा जायेगा।"

4. नियम 116 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"(3) नियम 103 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, उप-नियम (2) में यथा उल्लिखित प्रक्रम यात्री सेवा यान के संबंध में, वाहन के प्रवेश द्वार के दाएं हाथ की ओर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किये जायेंगे:-

(एक) वाहन का पंजीयन क्रमांक .... बैठक क्षमता ....

(दो) अनुज्ञापत्र धारक का नाम ....

(तीन) अनुज्ञापत्र धारक का मोबाईल नंबर एवं

कार्यालय का दूरभाष क्रमांक ....

(चार) मार्ग (अनुज्ञा पत्र में यथा स्वीकृत मार्ग, कम से कम दो व्हाया सहित हो) ....

(पांच) अनुज्ञा पत्र क्रमांक, वैधता एवं दैनिक फेरा

(अनुज्ञा पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा समनुदेशित) ....

(छः) प्रदान करने वाले प्राधिकारी (जैसे राज्य परिवहन प्राधिकारी या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी का मुख्यालय)

(सात) चेसिस क्रमांक .... इंजिन क्रमांक ....

(4) अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी, नये प्रक्रम यात्री वाहन अनुज्ञापत्र जारी करने, अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण या प्रतिहस्ताक्षर अथवा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने के समय, सदैव यह सत्यापित तथा अभिनिश्चित करेगा कि वाहन का रंग योजना एवं रीति, नियम 116 के उप–नियम (2) एवं (3) में विहित अनुसार है।

(5) साधारण, एक्सप्रेस या डीलक्स सेवा के रूप में संचालित यानों से भिन्न प्रक्रम यात्री सेवा यान को, नियम 116 के उप–नियम (2) एवं (3) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में रंगा या कैरी मार्क नहीं किया जायेगा।

(6) वाहन का अनुज्ञापत्र या उपयुक्तता प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह उप–नियम (2) एवं (3) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप न हो।

(7) वैध अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के स्लीपर कोच, सेमी स्लीपर कोच तथा वातानुकूलित कोच, जैसी भी स्थिति हो, साधारण, एक्सप्रेस एवं डीलक्स प्रक्रम यात्री सेवा यान में सम्मिलित होंगे।

(8) उप–नियम (2) के प्रावधान, वैध अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत संचालित अन्य राज्यों के प्रक्रम यात्री यानों, संविदा यात्री बसों, आरक्षित मंजिली गाड़ियों अथवा ओमनी बसों के लिये लागू नहीं होंगे।

(9) यदि कोई प्रक्रम यात्री सेवा यान, उप–नियम (2) एवं (3) के प्रावधानों के प्रारंभ होने के पश्चात्, तीस दिवसों के भीतर पंजीकृत की जा चुकी हो या पंजीकृत नहीं हुई हो, तो यह प्रावधान, उक्त उप–नियमों के प्रवृत्त होने के छः माह के पश्चात् लागू होंगे।

(10) जहां प्रक्रम यात्री सेवा यान, उप–नियम (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में संचालित करते पाया जाता हो, तो पंजीयन प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी द्वारा वाहन को निरूद्ध किया जायेगा और किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा परिवहन चेक पोस्ट पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा एवं ऐसे वाहन को निरूद्ध करने वाला अधिकारी, 24 घंटे के भीतर संबंधित पंजीयन प्राधिकारी को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(11) उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, आदेश द्वारा, किसी विशेष क्षेत्र में मार्ग विशेष पर या सम्पूर्ण मार्ग पर किसी प्रक्रम यात्री सेवा यान या प्रक्रम यात्री सेवा यान की श्रेणी को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से छूट प्रदान कर सकेगी।"

No. F 5-6/viii-Trans/2014.— The following further draft to amend the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 38 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the office of the Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, (Room No. S-4-10) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For Rule 9, the following shall be substituted, namely:-

"9. Uniform for Driver of Public Service Vehicle:- The driver of a Public Service Vehicle shall wear the following uniform, namely :-

(a) Grey Colour Bush-Shirt or Coat with four pockets with Flaps;

(b) Grey Colour full Pant; and

(c) Grey Colour Cap or Turban:

Provided that the State Government may, by general or special order, exempt all or any class of such drivers from the operation of this rule for such period as may be specified in the order."

2. For Rule 36, the following shall be substituted, namely:-

"36. Uniform for Conductor of Stage Carriage:- The conductor of a stage carriage shall wear the following uniform, namely :-

(a) Grey Colour Bush-Shirt or Coat with four pockets with Flaps;

(b) Grey Colour Trousers; and

(c) Grey Colour Cap or Turban."

3. For sub-rule (2) of Rule 116, the following shall be substituted, namely:-

"(2) Subject to the provision of Rule 114, the following colour scheme is prescribed for the easy and convenient identification of Stage Carriage Services, namely :-

(a) Ordinary Stage Carriage Service: The front and back side of an Ordinary Stage Carriage Service shall be painted in Red Colour and on both sides of the vehicle below the windows there shall be a full length Red Colour Band of 120 mm. The words "Ordinary Stage Carriage Service" shall be written on the middle of such band with the letter size of 60 mm.

(b) Express Stage Carriage Service: The front and back side of an Express Stage Carriage Service shall be painted in Light Yellow Colour and on both sides of the vehicle below the windows there shall be a full length Light Yellow Colour Band of 120 mm. The words "Express Stage Carriage Service" shall be written on the middle of such band with the letter size of 60 mm.

(c) Deluxe Stage Carriage Service: The front and back side of a Deluxe Stage Carriage Service shall be painted in Light Blue Colour and on both sides of the vehicle below the windows there shall be a full length Light Blue Colour Band of 120 mm. The words "Deluxe Stage Carriage Service" shall be written on the middle of such band with the letter size of 60 mm."

4. After sub-rule (2) of Rule 116, the following shall be added, namely:-

"(3) Subject to the provision of Rule 103, in respect of Stage Carriage Service as mentioned in sub-rule (2), the following particulars shall be exhibited on the left hand side of the entrance door of the vehicle :-

(i) Vehicle Registration Number ....Seating Capacity.................................

(ii) Name of the Permit Holder ....

(iii) Mobile Number of the permit holder and Telephone Number of the Office ....

(iv) Route (Route as granted in the permit with atleast two vias)..

(v) Permit Number, Validity and Daily Trips (Assigned by Permit Granting Authority).....................................

(vi) Granting Authority (Such as STA or RTA with Head Office..

(vii) Chassis Number..Engine Number...

(4) At the time of issuing new stage carriage permit, renewal or countersigning of permit or issuing a temporary permit under clause (c) of sub-section (1) of Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988, on a route; the Authority granting permit shall invariably verify and ascertain the colour scheme and manner of the vehicle, as prescribed in sub-rule (2) and (3) of Rule 116.

(5) No Stage Carriage Services other than those operating as Ordinary, Express or Deluxe Service shall be painted or carry marks in the manner as specified in sub-rule (2) and (3) of Rule 116.

(6) No permit and certificate of fitness shall be issued to a vehicle unless it is in compliance with the provisions mentioned in sub-rule (2) and (3).

(7) Ordinary, Express and Deluxe Stage Carriage Service shall include all Sleeper Coaches, Semi Sleeper Coaches and AC Coaches as the case may be, under a valid permit.

(8) The provision of sub-rule (2) shall not apply to the Stage Carriage, Contract Carriage Buses, Reserve Stage Carriages or Omni Buses of other States plying under a valid permit.

(9) If any Stage Carriage Services has been registered within thirty days after the commencement of the provisions of sub-rule (2) and (3) or not, then this provision shall be applicable after six months of coming into force of the said sub-rules.

(10) Where the Stage Carriage Services are found operated in violation of the provision of sub-rule (2) then the vehicle shall be detained by the Registering Authority/ Prescribed Authority and shall be kept in safe custody at the nearest Police Station or Transport Check Post and the officer detaining such vehicle shall report within 24 hours to the concerned Registering Authority for taking appropriate action under Section 53 of the Motor Vehicles Act, 1988.

(11) Notwithstanding anything contained in the above mentioned provisions, the State Government may by order and subject to the conditions mentioned therein, exempt partially or completely any Stage Carriage Services or class of Stage Carriage Services in any particular area, on specified route or on all routes."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.